

## राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा

**जबकि**, जुलाई 25, 2025 से शुरू होकर जुलाई 28, 2025 तक जारी रहने वाले भयंकर तूफानों की एक श्रृंखला के कारण अचानक और अत्यधिक भारी वर्षा हुई, जिसके कारण शिकागो शहर सहित कुक काउंटी के कई समुदायों में बाढ़ आ गई और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को व्यापक क्षति और विनाश हुआ; और

**जबकि**, जुलाई 26, 2025 से शुरू होकर जुलाई 27, 2025 तक जारी रहने वाले इसी तूफानी सिस्टम के कारण कैलहौन और जर्सी काउंटियों में कुछ क्षेत्रों में 10 इंच से अधिक की मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सड़कों, सीवर प्रणालियों, संपत्तियों में बाढ़ आ गई और बिजली की लाइनें गिर गईं, जिससे इन काउंटियों की सड़कें दुर्गम हो गईं और मलबे से अटी पड़ी रहीं; और

**जबकि**, इस तूफान प्रणाली से आई बाढ़ ने कैलहौन, कुक और जर्सी काउंटियों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सैकड़ों घरों को व्यापक नुकसान पहुंचाया; और

**जबकि**, कुक काउंटी और शिकागो शहर दोनों ने अगस्त 6, 2025 को आपदा की घोषणा जारी की है; और

**जबकि**, जर्सी काउंटी और जर्सीविले शहर ने जुलाई 28, 2025 को स्थानीय आपदा घोषणाएँ जारी कीं; और

**जबकि**, कैलहौन काउंटी ने जुलाई 31, 2025 को एक स्थानीय आपदा घोषणा जारी की, और काउंटी आयुक्तों के बोर्ड ने अगस्त 4, 2025 को घोषणा को 30 दिनों के लिए और बढ़ा दिया; और

**जबकि**, प्रभावित समुदायों के लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए कैलहौन, कुक और जर्सी काउंटियों में असाधारण आपातकालीन उपायों और संसाधनों की आवश्यकता थी; और, ये समुदाय इस विनाशकारी बाढ़ से उबर रहे हैं और निकट भविष्य में भी उबरते रहेंगे; और

**जबकि**, प्रभावित काउंटियों और समुदायों में स्थानीय संसाधन और क्षमताएं समाप्त हो चुकी हैं, और इस आपदा के प्रभावों से निपटने और उबरने में सहायता के लिए राज्य के संसाधनों की आवश्यकता है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना और अधिक गंभीर और स्थायी नुकसान के खतरों को कम करना या टालना शामिल है; और

**जबकि**, ये स्थितियाँ इलिनोइस आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305/7 की धारा 7 के तहत आपदा की घोषणा जारी करने के लिए कानूनी औचित्य प्रदान करती हैं।

**अब, इसलिए**, इलिनोइस के लोगों और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार स्थानीय सरकारों की सहायता के हित में, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर, इलिनोइस राज्य के राज्यपाल, इसके द्वारा निम्नलिखित घोषणा करता हूँ:

**अनुभाग 1.** इलिनोइस आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305/7 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार, मैं पाता हूँ कि इलिनोइस राज्य में एक आपदा मौजूद है और मैं विशेष रूप से कैलहौन, कुक और जर्सी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूँ।

**अनुभाग 2.** इलिनोइस आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी और होमलैंड सुरक्षा कार्यालय को आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति कार्यों में स्थानीय सरकारों को सहायता देने के लिए राज्य और संघीय संसाधनों का समन्वय करने हेतु राज्य आपातकालीन परिचालन योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने का निर्देश दिया गया है।

**अनुभाग 3.** प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक आपातकालीन खरीद, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम द्वारा यथा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए, इलिनॉय अधिप्राप्ति संहिता (प्रोक्योरमेंट कोड) के वे उपबंध जो आपदा का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जिस सीमा तक वे संघीय कानून द्वारा आवश्यक नहीं किए गए हैं।

**अनुभाग 4.** यदि क्षति का पूर्ण और व्यापक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि प्रभावी पुनर्प्राप्ति राज्य और प्रभावित स्थानीय सरकारों की क्षमता से परे है, तो यह उद्घोषणा संघीय आपदा सहायता के अनुरोध को सुगम बना सकती है।

**अनुभाग 5.** यह उद्घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

---

जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)  
राज्यपाल (गवर्नर)

दिनांक: अगस्त 21, 2025